प्रेस नोट ***04/02/2025***

चोरी की 11500 रुपये व एक मोबाइल फोन के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 के थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 22/25 धारा 305ए, 331(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शिवमुनी चौहान पुत्र गुड्डु चौहान निवासी गंगउपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 11500 रुपये तथा 01 एक अदद मोबाइल फोन इनफिनिक्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. शिवमुनी चौहान पुत्र गुड्डु चौहान निवासी गंगउपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की 11500 रुपये।
2. एक अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 संजय कुमार उपाध्याय, उ0नि0 राजेश सिंह, हे0का0 प्रीतम यादव, का0 अमरजीत सिंह, चन्द्रमा यादव, आनन्द राव थाना मधुबन जनपद मऊ।

01 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर थलईपुर चकरा रोड़ के पास से मु0अ0सं0 221/24 धारा 108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त पिण्टु पाण्डेय पुत्र स्व0 भरत पाण्डेय निवासी जमीनसहरुल्ला थाना हलधरपुर तथा थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रामनरायन चौहान पुत्र मिश्री चौहान निवासी भरथिहाकादीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-02-2025 को मु0अ0सं0 36/2009 धारा 411/409 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त दिनेश श्रीवास्तव पुत्र श्रीचरणाधार थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹25,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली का सराहनीय योगदान रहा।